फर्द अहकाम

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला जयपुर (राजस्थान)

सरकार बनाम हनुमान वगैरा

प्रकरण संख्या:— 61/2019

क्र. स.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	27.2.20	पत्रावली आज प्रकरण अपूर्ण होने पर तहसीलदार को वापस लौटाने पर इस न्यायालय को पुनः प्राप्त होने पर नियत तारीख पेशी से गिर कर पेश हुई। सरकार पैरोकार तहसीलदार कोटपूतली उपस्थित। प्रकरण के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम बामनवास तहसील कोटपूतली के खाता संख्या 153 के खातेदारान के हिस्सा दुरूस्ती हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर खातेदारान/पक्षकारान को जरिए नोटिस तल्ब किया। खातेदारान/पक्षकारान की तल्बी कार्यवाही के दौरान हमने पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट हुआ कि तहसीलदार कोटपूतली द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रकरण अपूर्ण है तथा प्रश्नागत भूमि में खातेदारान का हिस्सा अधिक या कम होना पाया गया लेकिन इस संबंध में प्रकरण में राजस्व रिकार्ड से या लिखित अभिकथन से कोई वस्तु स्थिति स्पष्ट नहीं की। उक्त ऐसी स्थिति में प्रकरण वापस लौटाकर प्रकरण की पूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुए मय राजस्व रिकॉर्ड दस्तावेजात के साथ दावा पेश किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार कोटपूतली ने अपने लिखित अभिकथन पत्रांक-भू.अ./20/350 दिनांक 13.2.20 द्वारा प्रश्नागत प्रकरण के भूमि खाता संख्या 153 ग्राम बामनवास तहसील कोटपूतली, जो अपवादित है को सेग्रीगेटेड किया जाकर निस्तारण किया जा चुका है तथा अब प्रकरण मे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। अतः तहसीलदार कोटपूतली के उक्त रिपॉर्ट के आधार पर प्रकरण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Nanu Ram Saini
Date: 2020.03.11 13:59:34 IST
Reason: SelfAttested